न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
02/20	07.02.2020	91 एल0आर0 एक्ट	24.02.2021

सरकार बनाम मजीद खां पुत्र हमीद खां जाति–कायमखानी, निवासी–भगासरा तहसील फतेहपुर

24.02.2021 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का भींचरी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम भगासरा के राजकीय भूमि ख0न0 516 रकबा 02 है0 किस्म गै0 मु0 जोहड़ में से 0.03 है0 पर मजीद खां पुत्र हमीद खां जाति–कायमखानी, निवासी–भगासरा तहसील फतेहपुर ने बाड़ बनाकर** अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का भींचरी के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत् दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल अनुपस्थित रहा। **अतः गैरसायल के विरूद्ध दिनांक 19.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । गैर सायल के विरूद्व पटवारी हल्का भींचरी की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 24.02.2021 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।**

रिपोर्ट पटवारी हल्का भींचरी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा **गैर सायल मजीद खां पुत्र हमीद खां जाति–कायमखानी, निवासी–भगासरा तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख0न0 516 रकबा 02 है0 किस्म गै0 मु0 जोहड़ में से 0.03 है0 भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू0अ0नि0 बेसवा को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह **लगान 00.15 रू का 50 गुणा तावान की कुल राशि 08/–** रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील फतेहपुर – सीकर

तहसीलदार
फतेहपुर (सीकर)